न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/26 **दायरा दिनांक : 16.02.2021**

उनवान

1– कालू आयु 46 साल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण, जाति गुर्जर
2– दानमल आयु 43 साल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण, जाति गुर्जर
3– छोटूलाल आयु 42 साल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण, जाति गुर्जर
4– मोहनलाल आयु 40 साल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण, जाति गुर्जर
5– मोजीराम आयु 38 साल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण, जाति गुर्जर
निवासीगण ग्राम कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– राजाराम आयु 61 साल पुत्र जयलाल, जाति रेबारी
2– श्यामलाल आयु 53 साल पुत्र जयलाल, जाति रेबारी
निवासीगण ढाणी शिवनगर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री मनोज वर्मा एवं श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 20.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 184/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां में मुताबिक जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के अनुसार खाता सं. 171 का खसरा नं. 56 रकबा 0.60 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2021 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम कनोटिया की खाता संख्या 171 खसरा नं. 56 रकबा 0.60 हेक्टर में वादीगण 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया तथा तहसीलदार अटरू को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो का आदेश पारित किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी खाता संख्या 171 की खसरा नं. 56 की 0.60 हेक्टर भूमि वाके ग्राम कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां का रेस्पोडेंट कम 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाने का आदेश व डिक्री जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदार सुवा पुत्र नाथू ने अपील विषयक आराजी का बेचान तहरीर आलेखित कर दिनांक 28.05.1986 को 6000/– रूपये में अपीलांट के पिता लक्ष्मीनारायण को बेचान कर कब्जा सुर्पुद किया था तथा बेचान की राशि में से 4000/– रूपये सुवा ने नगद प्राप्त कर लिये थे। उसके बाद दिनांक 25.07.1992 को पुनः नई तहरीर निष्पादित कर खातेदार सुवा द्वारा दस हजार रूपये अपीलांट के पिता लक्ष्मीनारायण से प्राप्त कर कब्जा संभला दिया था। उक्त अपील विषयक आराजी अपीलांट के पिता लक्ष्मीनारायण जी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट उक्त अपील विषयक आराजी पर बतौर मालिक काबिज काश्त

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निरन्तर चले आ रहे हैं और आज भी काबिज है। उक्त अपील विषयक आराजी के संबंध में अपीलांट के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 को प्रारम्भ से हो रही है इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 ने तथ्य को छिपाते हुए एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध राज्य सरकार के प्रस्तुत किया। जबकि अपील विषयक आराजी पर अपीलांट निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। यदि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार बनाया जाता तो उक्त सम्पूर्ण तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की नजर में आते जो प्रकरण के समुचित न्याय निस्तारण के लिए अति आवश्यक होता। उपरोक्त परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में एक शब्द भी अपने अभिवचन में अंकित नहीं किया कि वाद किस प्रकार अर्जेन्ट नेचर का है, कौन अपील विषयक आराजी पर कब्जा की धमकी दे रहा है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश व डिक्री जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायलय ने गौर फरमाया कि कानून घोषणा का वाद काबिज काश्तकार ही ला सकता है। रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का अपील विषयक आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है इसके बावजूद भी आदेश व डिक्री जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर फरमाया कि कानून घोषणा के वाद में राज्य सरकार को अन्तर्गत धारा 80 सी पी सी के तहत दो माह का नोटिस दिये जाने का आज्ञापक प्रावधान है, रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा राज्य सरकार को दो माह का नोटिस नहीं दिया गया। उपरोक्त परिस्थिति में आदेश व डिक्री जैर अपील कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का कनोटिया की रिपोर्ट को मानकर आदेश व डिक्री जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट मंगवाने की, पटवारी रिपोर्ट पत्रावली में शामिल किये जाने के संबंध में आदेशिका में कही कोई वर्णन नहीं है। पटवारी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय ने कब तलब की, उसकी तहरीर पटवारी हल्का को कब जारी की। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट कब न्यायालय में प्रस्तुत की ऐसा कुछ भी तथ्य अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली में उपलब्ध ऑर्डरशीट में नहीं है। उपरोक्त परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की गलत रिपोर्ट को मानकर आदेश व डिक्री जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश व डिक्री जैर अपील से अपीलांट्स के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। खातेदार सुवा पुत्र नाथू ने अपील विषयक आराजी का बेचान तहरीर आलेखित कर दिनांक 28.05.1986 को 6000/– रूपये में अपीलांट के पिता लक्ष्मीनारायण को बेचान कर कब्जा सुर्पुद किया था तथा बेचान की राशि में से 4000/– रूपये सुवा ने नगद प्राप्त कर लिये थे। उसके बाद दिनांक 25.07.1992 को पुनः नई तहरीर निष्पादित कर खातेदार सुवा द्वारा दस हजार रूपये अपीलांट के पिता लक्ष्मीनारायण से प्राप्त कर कब्जा संभला दिया था। उक्त अपील विषयक आराजी अपीलांट के पिता लक्ष्मीनारायण जी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट उक्त अपील विषयक आराजी पर बतौर मालिक काबिज काश्त निरन्तर चले आ रहे हैं और आज भी काबिज है। उक्त अपील विषयक आराजी के संबंध में अपीलांट के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं इसके संबंध में अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व डिक्री दिनांक 14.01.2021 को निरस्त फरमायी जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि यह आदेश व डिक्री जैर अपील से अपीलांट के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। खातेदार सुवा पुत्र नाथू ने अपील विषयक आराजी का बेचान तहरीर आलेखित कर दिनांक 28.05.1986 को 6000/– रूपये में अपीलांट के पिता लक्ष्मीनारायण को बेचान कर कब्जा सुर्पुद किया था तथा बेचान की राशि में से 4000/– रूपये सुवा ने नगद प्राप्त कर लिये थे। उसके बाद दिनांक 25.07.1992 को पुनः नई तहरीर निष्पादित कर खातेदार सुवा द्वारा दस हजार रूपये अपीलांट के पिता लक्ष्मीनारायण से प्राप्त कर कब्जा संभला दिया था। उक्त अपील विषयक आराजी अपीलांट के पिता लक्ष्मीनारायण जी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट उक्त अपील विषयक आराजी पर बतौर मालिक काबिज काश्त

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निरन्तर चले आ रहे हैं और आज भी काबिज है। उक्त अपील विषयक आराजी के संबंध में अपीलांट के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं जिसके कारण अपीलांट उक्त आलोच्य आदेश व डिक्री से एग्रीव्यड प्रसन्न है और अपीलांट के हित व अधिकार की सुरक्षा व न्याय प्राप्ति के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति से आलोच्य आदेश व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स/प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां के आलोच्य आदेश व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2008(2) पेज 1135 व आर.आर.टी. 2013(2) पेज 1096 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

अपीलांट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि सुवा पुत्र नाथू द्वारा 1986 तथा 1992 में अपीलांट के पिता के पक्ष में बेचान तहरीर लिखकर कब्जा संभला दिया था। पहले अपीलांट के पिता इस आराजी पर काबिज थे तथा पिता की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया जो उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। हम एक साथ धारा 96 सी.पी.सी. तथा अपील का निर्णय करना उचित समझते हैं। 1986 की बेचान तहरीर का अवलोकन किया गया। उसमें खसरा नम्बरान का कोई उल्लेख नहीं है तथा 1992 की बेचान तहरीर में भी खसरा नम्बरान का उल्लेख नहीं है। हमारे मतानुसार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प.5(2)राज–6/92 दिनांक 05.04.2006 के अनुसार एग्रीमेंट टू सेल के मामले में सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है, ना कि राजस्व न्यायालय को। हमारी राय में उक्त बेचान तहरीर के आधार पर अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को प्रकरण में सुनवाई का अधिकार नहीं होने से अपीलांटगण का धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांटगण को अनुतोष चाहिए तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय को अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर प्रकरण में सुनवाई का अधिकार नहीं होने से धारा 96 सी.पी.सी. तथा अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. तथा अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/5/2024

(ममता कुमार तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– कालू आयु 46 साल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण, जाति गुर्जर
2– दानमल आयु 43 साल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण, जाति गुर्जर
3– छोटूलाल आयु 42 साल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण, जाति गुर्जर
4–मोहनलाल आयु 40 साल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण, जाति गुर्जर
5–मोजीराम आयु 38 साल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण, जाति गुर्जर
निवासीगण ग्राम कनोटिया, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

.... **अपीलांट्स**

बनाम

1– राजाराम आयु 61 साल पुत्र जयलाल, जाति रेबारी
2– श्यामलाल आयु 53 साल पुत्र जयलाल, जाति रेबारी निवासीगण ढाणी शिवनगर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अटरू, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट्स**

अपील नं **2021 / 26**
मु.द.नं0 **184 / 2020**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **14.01.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **30 माह 04** सन् **2024**

श्री **मनोज वर्मा** एवं श्री **हेमेन्द्र सिंह आसावत** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, रेस्पोडेंट अनुपस्थित ।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. तथा अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2021 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **20 माह 05 सन् 2024** को जारी किया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)